मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

**पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस.

**वाद पत्र संख्या :–198 / 2024**

1. कपिलदेव पुत्र प्रेमलाल | जाति बिश्नोई साकिन 25 एमओडी
2. कमला देवी पुत्री प्रेमलाल | तहसील पीलीबंगा
3. पूनम पुत्री प्रेमलाल | जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—— वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

—— प्रतिवादी

**दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा**

**निर्णय**

**दिनांक :–** 18/12/2024

वादीगण की ओर से श्री राकेश पुनिया अधिवक्ता, प्रतिवादी राजपेरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 25 एमओडी नामान्तरकरण सं0 88 दिनांक 12.01.2000 के वादीगण 1 व 3 के पिता तथा वादी सं0 2 के पति के नाम से वसीयत द्वारा भूमि प्राप्त हुई है। बाद में जमाबंदिया तैयार करते वक्त सहवन से इनका नाम प्रेमलाल की जगह प्रेमपाल हो गया। उनका मृत्यु प्रमाण, वारिसनामा भी प्रेमलाल नाम से है अर्थात् उनके समस्त दस्तावेज प्रेमलाल नाम से है। पूछताछ में गांव के मौजिज ने बताया कि प्रेमपाल व प्रेमलाल एक ही व्यक्ति है। वादी सं० 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पवन पुत्री प्रेमपाल दर्ज है। मौजिज ने बताया कि पवन, प्रेमलाल की बच्ची का बचपन का नाम है, जबकि सारे दस्तावेजों में उनका नाम पूनम है। अतः पवन व पूनम एक ही लड़की के दो नाम है। चक 25 एमओडी का ईसं0 88 प्रेमलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, वादीगण के दस्तावेज प्रस्तुत किये है। प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। वाद वादीगण स्वीकार कर घोषणा की जाती है कि – तहसील पीलीबंगा के चक 25 एमओडी के खाता सं. 57 / 52 के प.नं. 8 / 263, प.नं. 9 / 263 की कुल 12.068 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में वादी सं. 1 का नाम कपिलदेव पुत्र प्रेमपाल, वादीया सं. 2 का नाम कमला देवी पत्नी प्रेमपाल व वादीया सं. 3 का नाम पवन पुत्री प्रेमपाल के स्थान पर वादी सं. 1 का नाम कपिलदेव पुत्र प्रेमलाल, वादीया सं. 2 का नाम कमला देवी पत्नी प्रेमलाल व वादीया सं. 3 का नाम पूनम पुत्री प्रेमलाल दर्ज किया जाने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं हो, रहन यथावत रखा जावे। तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही [illegible] किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री [illegible] दिनांक 18/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.19 17:09:15 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा